

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 591 / 15

संस्थापन दिनांक:-21 / 09 / 15

फाईलिंग नं. 233504002752015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

रूपेश उर्फ लक्की पिता फूलचंद
उम्र 33 वर्ष, निवासी खापाखतेड़ा,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 30.01.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 20.09.2015 को समय रात 08:15 बजे संतोषी माता मंदिर के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की तलवार जिसकी कुल लंबाई 24½ सेमी., चौड़ाई 3 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.09.2015 को प्रधान आरक्षक रेवाराम गायकवाड़ को मोबाईल पर सूचना मिली कि संतोषी माता मंदिर के पास चौक आमला में अभियुक्त हाथ में तलवार लेकर घूम रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की तलवार लिये लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे घेराबंदी कर मय तलवार के पकड़ा गया। अभियुक्त द्वारा तलवार रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की तलवार जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 511/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत

किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.09.2015 को समय रात 08:15 बजे संतोषी माता मंदिर के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की तलवार जिसकी कुल लंबाई 24½ सेमी., चौड़ाई 3 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 रेवाराम गायकवाड़ (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 20.09.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे फोन पर सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ संतोषी माता मंदिर के पास आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की तलवार लिये लोगों को डराते धमकाते मिला। अभियुक्त द्वारा तलवार रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 511/15 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए को वही लोहे की तलवार होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था।

6 सहदेव (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना संतोषी माता मंदिर के सामने आमला की रात्रि 7-8 बजे की है। घटना के समय वह प्रधान आरक्षक गायकवाड़ के साथ मौके पर गया था जहां अभियुक्त हाथ में तलवार लेकर घूम रहा था जिससे गायकवाड़ साहब ने तलवार जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

7 यादोराव (अ.सा.-2) एवं शेख अलीम (अ.सा.-4) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु

साक्षी शेख अलीम (अ.सा.-4) ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-2) एवं शेख अलीम (अ.सा.-4) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर सहदेव (अ.सा.-1) एवं रेवाराम गायकवाड़ (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 रेवाराम गायकवाड़ (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी शेख अलीम एवं यादोराव को साथ लेकर मौके पर जाना तथा अभियुक्त से लोहे की तलवार जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया जाना, मौके पर ही तलवार को सीलबंद किया जाना तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने के उपरांत थाने आकर अपराध क्र. 511/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया जाना बताया है। सहदेव (अ.सा.-1) ने घटना के समय प्रधान आरक्षक गायकवाड़ के साथ मौके पर जाना और अभियुक्त से तलवार जप्त कर गिरफ्तार किये जाने का कथन प्रकट किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी रेवाराम गायकवाड़ (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि उसके द्वारा हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी की मदद से घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ा गया था तथा मौके पर जप्तशुदा तलवार की नाप इंची टेप से की थी। सहदेव (अ.सा.-1) से प्रतिपरीक्षण में मात्र औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं।

10 रेवाराम गायकवाड़ (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसे फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी तब वह हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा था। जबकि अभियोजन कथा अनुसार कस्बा भ्रमण के दौरान थाना प्रभारी श्रीवास्तव के पास मोबाईल पर सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात हमराह स्टाफ के साथ साक्षी मौके पर गया। साथ ही साक्षी सहदेव (अ.सा.-1) ने भी न्यायालयीन परीक्षण में ऐसे कोई कथन नहीं किये हैं कि वह घटना के समय कस्बा भ्रमण में हो और तब सूचना प्राप्त हुई हो। ऐसी स्थिति में सूचना प्राप्त होने के संबंध में तत्पश्चात कार्यवाही अग्रसर किये जाने के संबंध में साक्षीगण के कथन अभियोजन कथा के अनुरूप नहीं है। साथ ही उपर्युक्त दोनों साक्षियों के कथनों में विसंगति भी है। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में संपत्ति जप्त किये जाने का समय 20:15 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी का समय 20:20 बजे लेख है, मात्र 5 मिनट में अभियुक्त से आयुध जप्त कर उसकी नापजोख करना, उसे सीलबंद करना तत्पश्चात अभियुक्त की गिरफ्तारी करना असंभव नहीं परंतु अस्वाभाविक अवश्य प्रतीत होता है। स्वतंत्र साक्षीगण ने अपने समक्ष अभियुक्त से कथित आयुध की

जप्ती से इनकार किया है। प्रकरण में रवानगी रोजनामचा सान्हा संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही जप्ती पत्रक में जो नमूना सील अंकित है वही नमूना सील जप्तशुदा आयुध में अंकित है या नहीं इसके संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है।

11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.09.2015 को समय रात 08:15 बजे संतोषी माता मंदिर के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की तलवार जिसकी कुल लंबाई 24½ सेमी., चौड़ाई 3 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त रूपेश उर्फ लकी को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की तलवार अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)